

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

क्रमांक : 314 / स्था. / 2026

दिनांक : 19.9.26

:: आ दे श ::

अध्यक्ष, पदोन्नति समिति, द्वारा अनुशंसा किये जाने पर निम्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/तामील कुनिन्दाओं को राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम 1986 समय समय पर यथा संशोधित नियम के तहत लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता रखने के कारण इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 में पे मेट्रिक्स लेवल-5 में पदोन्नत किया जाकर इनका निम्नानुसार पदस्थापन किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम व पद	पदोन्नति पद	नवीन पदस्थापन न्यायालय
1	श्री चन्द्रशेखर धन्नावत, च.श्रे.क.	लिपिक ग्रेड-11	विशिष्ट न्यायालय, पोक्सो अधिनियम संख्या 02, भीलवाड़ा
2	श्री मनीष वर्मा, च.श्रे.क.	लिपिक ग्रेड-11	जिला एवं सेशन न्यायालय भीलवाड़ा

नोट :-

01. उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे एवं नियमानुसार कर्मचारी का वेतन नियतन नवीन पदस्थापन न्यायालय द्वारा किया जावे। कर्मचारी को उक्त पदोन्नति का लाभ कार्यभार ग्रहण की तिथि से ही देय होगा।
02. कर्मचारियों का कार्य, व्यवहार व आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा पदों में किसी प्रकार की कमी होने अथवा किसी पूर्व कर्मचारी की पुनः नियुक्ति होने पर, कर्मचारी के किसी भी दस्तावेज में कोई कमी पाई जाने पर इन्हें बिना किसी नोटिस के इनके पूर्व पद पर पदावनत किया जा सकेगा।
03. संबंधित न्यायालय इनके पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करावे।
04. उक्त पदोन्नतियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लंबित सभी रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी तथा राज्य सरकार व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों/आदेशों के अधीन अन्यथा पाए जाने पर, उक्त आदेश में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।
05. यदि उपरोक्त कर्मचारीगण चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के कारण पहले से ही स्वीकृत किये गये नवीन पद के वेतनमान से उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका पातेय वेतन कम नहीं किया जावेगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा

क्रमांक: स्था / 2026 / 506470 5067

दिनांक : 19/9/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- संबंधित न्यायालय आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न कर उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में करे एवं एक प्रति अपने अधीनस्थ सम्बंधित कर्मचारी को अपने स्तर पर दिलवाया जाना सुनिश्चित करे।
- 2- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय भीलवाड़ा को जिला न्यायालय भीलवाड़ा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 3- स्थापनानुभाग, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा